M2/5985/11
17-11-11

XXX-Part-21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक **02/43/01/15453/11**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री महालक्ष्मी सर्व शिक्षा एवं सर्व समाज कल्याण समिति समिति जो मकान नं. 130, निगोतिया नर्सिंग होम के पास वार्ड 6, गोहद तहसील गोहद जिला भिण्ड में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 16/11/2011 को पंजीयित की गई है।

दिनांक सोलह माह नवम्बर सन् **2011**

असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज ग्वालियर – चंबल संभाग ग्वालियर

(एम.जे.कुरैशी)
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
समितियों के रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें
ग्वालियर– चम्बल राजस्व संभाग
ग्वालियर (म.प्र.)

AD4 | 6161 |
154 5326-1
16-11-2011

प्रारूप क्रमांक –1

(देखिये नियम–3)

समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन – पत्र

1. समिति का नाम :– श्री महालक्ष्मी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति

2. समिति का कार्यालय :– निगोतिया नर्सिंग होम के पास, वार्ड 6, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)

3. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:–

1. शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करना तथा हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, माध्यमों से क्षेत्रीय भाषा एवं बोली में शिक्षा देने हेतु पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों मदरसा, एवं महाविद्यालयों का संचालन करना तथा पुस्तकालय एवं वाचनालयों का संचालन करना, औपचारिक शिक्षा केन्द्र प्रौढ शिक्षा केन्द्र एवं प्रौढ महिलाओं हेतु शिक्षा केन्द्र व पत्राचार शिक्षा केन्द्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यकों के लिये, अनुसूचित जाति बालक कन्या आश्रम, आवासीय विद्यालयों एवं कोचिंग कक्षाओं का संचालन करना एवं सारक्षता का प्रचार एवं प्रसार करना।
2. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश से एवं शासन, विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कर शिक्षक प्रशिक्षण, नर्सशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, प्रशिक्षण, केन्द्रों का संचालन करना।
3. पीड़ित, प्रताड़ित, विधवा, निराश्रित, विकलांग, असहाय, जरूरतमंद, परित्यक्ता, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली झुग्गी झोपड़ी वासी, पर्वतीय क्षेत्र के निवासी, गंदी बस्ती निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक तथा जरूरतमंद महिला, बच्चों के कल्याणर्थ, शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना व सिलाई, कढाई, बुनाई, टायपिंग, कम्प्यूटर, ब्यूटी पार्लर, पेंटिग, संगीत, हस्तशिल्प, व व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं झूलाघर, आंगनवाडी, बालवाडी, क्रेश, बाल विकास केन्द्र, शिशु रक्षा केन्द्र, स्नेह कुटीर, बाल आश्रम, अनाथालय, बाल सम्प्रेषण, गृह संचालन करना।
4. अन्धे, लंगड़े, लूले, बहरे, मूक, बधिर, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांगों व नेत्रहीन एवं शारीरिक कमजोर, निराश्रित, अनाथों के लिये शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र

श्री महालक्ष्मी सर्व शिक्षा एवं सर्व समाज कल्याण समिति
गोहद जिला–भिण्ड (म.प्र.)

15453
16-11-01

संचालित करना व पंचायत एवं समाज सेवा के अन्तर्गत कार्य करना एवं नशा मुक्ति हेतु प्रचार प्रसार करना, परामर्श केन्द्र खोलना एवं वृद्धाआश्रम संचालित करना, कैंसर, येनिट व ड्रग्स से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा एवं सलाह देना व बड़ती हुई नशा प्रवृति की रोकथाम हेतु कार्य करना व समाज में व्याप्त बुराईयों को दूर करने के लिये कलामंडी के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं उनका संचालन करना।

5. परित्यक्ता एवं विपत्तिग्रस्त महिलाओं के लिये कानूनी विधिक सहायता परामर्श केन्द्र का संचालन करना।

6. ग्राम स्वराज एवं पंचायतीराज एवं भावनाओं के अनुकूल ग्रामउत्थान के लिये कार्य करना एवं ग्रामीण विकास हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण, हस्तशिल्प प्रशिक्षण लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं महिला जाग्रति शिविर आयोजन करना एवं उनका संचालन करना।

7. पर्यावरण प्रदूषण के लिये कार्य करना बड़ते हुये जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार करना व कार्यशाला का आयोजन करना एवं इसकी रोकथाम हेतु विशेष प्रशिक्षण देना।

8. ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देना तथा कलाकृतियों को बड़ावा देना।

9. स्वास्थ्य केन्द्र खोलना परिवार नियोजन व परिवार परामर्श केन्द्र महिला बाल स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सक शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना।

10. श्रमिकों एवं उनके बालक, बालिकाओं एवं महिलाओं को शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना तथा श्रमिक विद्यापीठ की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।

11. ~~उद्यमिता विकास कार्यक्रम का संचालन करना उद्योग एवं लघुउद्योग स्थापना के पूर्व उन्हें शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना।~~

12. कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेंटर एवं टेक्नीकल प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना।

13. वृद्धाआश्रम का संचालन करना प्रौढ महिलाओं के लिये शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना।

14. वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन करना तथा इस हेतु प्रशिक्षण देना।

15453
...क्रमांक ...
...की दिनांक 16-11-2011

15. अनाथ एवं निराश्रित बालकों के लिये अनाथालय की स्थापना करना तथा उनके लिये स्नेह कुटीर केन्द्र खोलना एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, के बालक, बालिकाओं के लिये आश्रम एवं छात्रावासी विद्यालय एवं कोचिंग तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना।

16. विभिन्न कार्यों की पढ़ाई कराना परीक्षाओं के लिये विद्यालय एवं कोचिंग संस्थाये स्थापित करना एवं उन्हें चलाना।

17. तर्कनीकी/गैर तकनीकी/व्यावसायिक एवं अन्य सभी प्रकार की संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन।

18. सह चिकित्सीय विषयों का संचालन, चिकित्सा महाविद्यालय, दंत चिकित्सा, आयुर्वेद, फार्मेसी, होम्योपैथी, नर्सिंग आदि प्रकार के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना।

19. समाज के आर्थिक रूप के पिछड़े वर्ग छात्र/छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।

असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज ग्वालियर – चंबल राजस्व संभाग, ग्वालियर

श्रीमति शकुन्तला गुप्ता

सचिव
श्री महालक्ष्मी सर्व शिक्षा एवं सर्व समाज कल्याण समिति
गोहद जिला–भिण्ड (म.प्र.)

(4) समिति के प्रबन्ध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबन्ध शासक परिषद, संचालकों, सभा या शासी–निकाय को सौंपा गया है जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित है :–

क्र.	नाम	पिता / पति	पद	पता	धन्धा
1.	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	श्री मोतीराम गुप्ता	अध्यक्ष	मकान नं. 130, निगोतिया वाली गली, वार्ड नं. 6, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)	दुकानदारी
2.	श्री प्रशान्त गुप्ता	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	उपाध्यक्ष	मकान नं. 130, निगोतिया वाली गली, वार्ड नं. 6, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)	मार्केटिंग
3.	श्रीमती रीना गुप्ता	श्री पवन गुप्ता	सचिव	मकान नं. 130, निगोतिया वाली गली, वार्ड नं. 6, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)	प्राइवेट टीचर
4.	श्री सकुन्तला गुप्ता	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	कोषाध्यक्ष	मकान नं. 130, निगोतिया वाली गली, वार्ड नं. 6, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)	समाजसेवा
5.	श्रीमती राखी गुप्ता	श्री प्रशांत गुप्ता	संयुक्त सचिव	मकान नं. 130, निगोतिया वाली गली, वार्ड नं. 6, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)	प्राइवेट टीचर
6.	श्री अशोक गुप्ता	श्री घनश्यामदास गुप्ता	सदस्य	मकान नं. ए-120, बृजविहार कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)	प्राइवेट जॉब
7.	श्रीमती नीरज गुप्ता	श्री अशोक गुप्ता	सदस्य	मकान नं. ए-120, बृजविहार कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)	समाजसेवा

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

(5) समिति के इस ज्ञाप–पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (1973 का 44) की धारा – 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है।

हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन–पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं :–

क्र.	निर्माणकर्ताओं के नाम	पिता / पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	श्री मोतीराम गुप्ता	मकान नं. 130, निगोतिया वाली गली, वार्ड नं. 6, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)	[signature]
2.	श्री प्रशान्त गुप्ता	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	मकान नं. 130, निगोतिया वाली गली, वार्ड नं. 6, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)	प्रशान्त गुप्ता
3.	श्रीमती रीना गुप्ता	श्री पवन गुप्ता	मकान नं. 130, निगोतिया वाली गली, वार्ड नं. 6, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)	Reena
4.	श्री शकुन्तला गुप्ता	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	मकान नं. 130, निगोतिया वाली गली, वार्ड नं. 6, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)	श्रीमती शकुन्तला गुप्ता
5.	श्रीमती राखी गुप्ता	श्री प्रशांत गुप्ता	मकान नं. 130, निगोतिया वाली गली, वार्ड नं. 6, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)	[signature]
6.	श्री अशोक गुप्ता	श्री घनश्यामदास गुप्ता	मकान नं. ए–120, वृजविहार कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)	[signature]
7.	श्रीमती नीरज गुप्ता	श्री अशोक गुप्ता	मकान नं. ए–120, वृजविहार कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)	[signature]

साक्षी

हस्ताक्षर [signature]
नाम विनीत गुप्ता पुत्र श्री सुरेशचन्द्र गुप्ता
व्यवसाय दुकानदारी
पता मकान नं. 132, कोट का कुआ, वार्ड नं. 6, गोहद, जिला भिण्ड

सत्यप्रतिलिपि
[signature] 23.11.2011
(एम. जे. कुरैशी)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें
ग्वालियर– चम्बल राजस्व संभाग
ग्वालियर (म.प्र.)

Reena
सचिव
श्री महालक्ष्मी सर्व शिक्षा एवं सर्व समाज कल्याण समिति
गोहद जिला–भिण्ड (म.प्र.)

अध्यक्ष सचिव

श्रीमती शकुन्तला गुप्ता
कोषाध्यक्ष

15453
16-11-

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

32AA 142173

श्री महालक्ष्मी सर्व शिक्षा एवं सर्व समाज कल्याण समिति मो...
रजिस्ट्रेशन विधान की नकल के साथ संलग्न।

असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें ग्वालियर - चम्बल राजस्व संभाग, ग्वालियर

To

R.N. 15453 Date 16.11.

सचिव
श्री महालक्ष्मी सर्व शिक्षा एवं सर्व समाज कल्याण समिति
मोहद जिला–भिण्ड (म.प्र.)

23.11.201

(एम.जे.कुरैशी)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें
ग्वालियर– चम्बल राजस्व संभाग

ARU/6161/1
26-11-1

नियमावली

1. संस्था का नाम : **श्री महालक्ष्मी सर्वशिक्षा एवं सर्वसमाज कल्याण समिति** होगा ।

2. संस्था का कार्यालय : मकान नं. 130 निगोतिया नर्सिंग होम के पास, वार्ड नं. 6, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)

15453
16-11-

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : **सम्पूर्ण मध्यप्रदेश** होगा ।

4. समिति के उद्देश्य :

1— शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करना तथा हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू माध्यमों से क्षेत्रीय भाषा एवं बोली में शिक्षा देने हेतु पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, मदरसा एवं महाविद्यालयों का संचालन करना तथा पुस्तकालय एवं वाचनालयों का संचालन करना, औपचारिक शिक्षा केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र एवं प्रौढ़ महिलाओं हेतु शिक्षा केन्द्र व पत्राचार शिक्षा केन्द्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए अनुसूचित जाति बालक, कन्या आश्रम, आवासीय विद्यालयों एवं कोचिंग कक्षाओं का संचालन करना एवं साक्षरता का प्रचार एवं प्रसार करना । इंजीनियरिंग एवं मेडीकल व टैक्नीकल शिक्षा संस्था चलाना ।

2— माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश से एवं शासन विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कर शिक्षक प्रशिक्षण, नर्स प्रशिक्षण, व्यवसायिक शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना ।

3— पीड़ित प्रताड़ित, विधवा, निराश्रित, विकलांग, असहाय, जरूरतमंद, परित्यक्ता, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली, झुग्गी झोपड़ी वासी, पर्वतीय क्षेत्र की निवासी, गन्दी बस्ती निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक तथा जरूरतमंद महिलाओं एवं बच्चों के कल्याणार्थ शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना व सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, टाईपिंग, कम्प्यूटर, ब्यूटी पार्लर, पेंटिंग, संगीत, हस्तशिल्प व व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं झूलाघर, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, क्रेश, बाल विकास केन्द्र, शिशु रक्षा केन्द्र, स्नेह कुटीर, बाल आश्रम, अनाथालय, बाल सम्प्रेषण गृह का संचालन करना, बच्चों को पोषण आहार की व्यवस्था करना ।

सचिव
श्री महालक्ष्मी सर्व शिक्षा एवं सर्व समाज कल्याण समिति
गोहद जिला-भिण्ड (म.प्र.)

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

15453.
रजिस्ट्रेशन नंबर
रजिस्ट्रेशन की दिनांक 16-11-0

4. अन्धे, लंगड़े, लूले, बहरे, मूक, बधिर, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांगों व नेत्रहीन एवं शारीरिक कमजोर, निराश्रित, अनाथ, के लिये शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करना व पंचायत एवं समाज सेवा के अन्तर्गत कार्य करना एवं नशा मुक्ति हेतु प्रचार प्रसार करना, परामर्श केन्द्र खोलना एवं वृद्धाआश्रम संचालित करना, केयर, येनिट व ड्रग्स से पीड़ित व्यक्तिय बुराईयों को चिकित्सा एवं सलाह देना व बड़ती हुई नशा प्रवृति की रोकथाम हेतु कार्य करना व समाज में व्याप्त बुराईयों को दूर करने के लिये कलामंडी के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं उनका संचालन करना।

5. परित्यक्ता एवं विपत्तिग्रस्त महिलाओं के लिये कानूनी विधिक सहायता परामर्श केन्द्र का संचालन करना।

6. ग्राम स्वराज एवं पंचायतीराज एवं भावनाओं के अनुकूल ग्रामउत्थान के लिये कार्य करना एवं ग्रामीण विकास हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण, हस्तशिल्प प्रशिक्षण लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं महिला जाग्रति शिविर आयोजन करना एवं उनका संचालन करना।

7. पर्यावरण प्रदूषण के लिये कार्य करना बड़ते हुये जन प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार करना व कार्यशाला का आयोजन करना एवं इसकी रोकथाम हेतु विशेष प्रशिक्षण देना।

8. ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देना तथा कलाकृतियों को बड़ावा देना।

9. स्वास्थ्य केन्द्र खोलना परिवार नियोजन व परिवार परामर्श केन्द्र महिला बाल स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सक शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना।

10. श्रमिकों एवं उनके बालक, बालिकाओं एवं महिलाओं को शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना तथा श्रमिक विद्यापीठ की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।

11. उद्यमिता विकास कार्यक्रम का संचालन करना उद्योग एवं लघुउद्योग स्थापना के पूर्व उन्हें शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना।

12. कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेंटर एवं टेक्नीकल प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना।

13. वृद्धाआश्रम का संचालन करना प्रौढ़ महिलाओं के लिये शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना।

असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ संस्थायें, चंबल राजस्व संभाग, ग्वालियर

उपाध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष
                                श्रीमती शकुन्तला गुप्ता

15453
अनुसूची पत्र नम्बर
पिछले पत्र की दिनांक 16-11-2011

14. वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन करना तथा इस हेतु प्रशिक्षण देना।

15. अनाथ एवं निराश्रित बालक के लिये अनाथालय की स्थापना करना तथा उनके लिये स्नेह कुटीर केन्द्र खोलना एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, के बालक, बालिकाओं के लिये आश्रम एवं छात्रावासी विद्यालय एवं कोचिंग तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना।

(5) सदस्यताः– संस्था में निम्न लिखित श्रेणी के सदस्य होंगे।

(अ) संरक्षक सदस्यः–

संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में 25,000/– रुपये या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) आजीवन सदस्यः–

जो व्यक्ति संस्था को सदस्यता शुल्क के रूप में ~~1,00,000/~~ [13000/– Reena] – रुपये या अधिक देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य बन सकेगा। जो कोई आजीवन सदस्य ~~1,00,000/–~~ [12000/– Reena] रुपये देकर संस्था का संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्यः–

जो व्यक्ति संस्था को 1,000/– रुपये प्रतिवर्ष सदस्यता शुल्क के रूप में देकर संस्था का साधारण सदस्य हो सकता है। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये रहेगा जिसके लिये उसने सदस्यता शुल्क का भुगतान किया हो, जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के 6 माह तक सदस्यता शुल्क नहीं देता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा सदस्यता के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया शुल्क पुनः भुगतान करने पर सदस्यता प्रदान की जा सकती है।

(द) सम्मानीय सदस्यः–

संस्था के प्रबंधक कार्यकारिणी द्वारा किसी भी विशिष्ट या सम्मानीय व्यक्ति को उस समय के लिये जो भी व उचित समझे सम्मानीय सदस्यता प्रदान की जा सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा बैठक में भाग ले सकते हैं। परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

Reena

अध्यक्ष | सचिव Reena | कोषाध्यक्ष श्रीमती शकुन्तला गुप्ता

15453
दस्तावेज़ क्रमांक 15453
दस्तावेज़ की दिनांक 16-11-2011

(6) सदस्यता की प्राप्तिः–

प्रत्येक व्यक्ति जो समिति का सदस्य बनने का इच्छुक होगा उसे लिखित रुप से आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसे आवेदन पत्र को स्वीकार करने एवं अमान्य करने का अधिकार होगा।

(7) सदस्यता की योग्यताः–

संस्था का सदस्य बनाने के लिये किसी व्यक्ति ने निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक हैं:–

(अ) उसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो।

(ब) भारत का नागरिक हो।

(स) समिति के नियमों को पालन करने की प्रतिज्ञा की हो।

(द) सद् सचित्र को मद्यपान न करता हो।

(8) सदस्यता की समाप्ति :–

किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी:–

(क) मृत्यु हो जाने पर।

(ख) पागल हो जाने पर।

(ग) संस्था को देय सदस्यता शुल्क नियमों में बताये अनुसार जमा न कराने पर।

(घ) त्यागपत्र देने पर और उसके स्वीकार होने पर।

(ड) चरित्र दोष होने पर और प्रबंधकारिणी समिति के निर्णय अनुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना उक्त सदस्य को लिखित रूप में देनी होगी।

(9) संस्था के कार्यालय में सदस्यों की पंजी रखी जायेगी। जिसमें निम्न ब्योरे दर्ज किये जायेंगे।

(अ) प्रत्येक सदस्य का नाम पता तथा व्यवसाय।

(ब) वह तारीख जिस दिन सदस्यों का प्रवेश दिया गया हो और रसीद नं.।

(स) वह तारीख जिस दिन सदस्यों की सदस्यता समाप्त हुई हो।

(10) (अ) साधारण सभा

साधारण सभा के नियम 5 में दर्शाई श्रेणी के सदस्य समाविष्ट होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकता अनुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में 1 बार बैठक अनिवार्य होगी।

सचिव
श्री महालक्ष्मी सर्व शिक्षा एवं सर्व समाज कल्याण समिति
गोहद जिला-भिण्ड (म.प्र.)

श्रीमती शकुन्तला

15453
प्रस्तुत का नम्बर 15453
प्रस्तुत करने की दिनांक 16-11-2011

बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचित करेगी। बैठक कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जायेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारीयों का विधिवत निर्वाचन किया जायेगा। यदि सम्बन्धित आम सभा आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है। तो पंजीयक को अधिकार होगा। कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्ग दर्शन में पदाधिकारीयों का विधिवत चुनाव कराया जायेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी समितिः—

प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिंनांक से सात दिन पूर्व प्रबंधकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजना आवश्यक होगा बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी। कोरम की कोई शर्ते नहीं होंगी।

(स) विशेषः—

यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने की साधारण सभा की बैठक बुलाई जायेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प के प्रति पंजीयक को संकल्प पारित होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजी जायेगी। पंजीयक को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः—

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की टीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं का आय—व्यय पत्रकों की स्वीकृति करना।

(च) बजट का अनुमोदन करना।

श्रीमती शकुन्तला

15453
पंजीयन क्रमांक 16-11-2011

(12) प्रबंधकारिणी का गठनः–

ट्रस्टीज यदि कोई होगा तो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ,ब,स,) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव (6) कार्यकारिणी सदस्य – 2

~~उपरोक्त के अतिरिक्त पदेन सदस्यों को रखा जावेगा जिसमें :–~~

~~1. संस्था प्रमुख – प्राचार्य – एक~~

~~2. उप संचालक शिक्षा – 3 प्राचार्य शासकीय बालक उ.मा.वि.~~

(13) प्रबंध समिति का कार्यकालः–

प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ठा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, वर्तमान प्रबंध समिति कार्यकरती रहेगी। किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

(14) प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्यः–

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है। उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भी भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना एवं उनकी सेवा नियमों तथा उपनियमों को बनाना एवं उनकी सेवा सम्बन्धी समस्त प्रबंध व अधिकार प्रबंधकारिणी के अधीन रहेगा।

Reena

Reena श्रीमती शकुन्तला गुप्ता

15453.
16-11-2011

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय समय पर सौंप जाये करने की जिम्मेदारी प्रबंधकारिणी पर रहेगी।

(च) संस्था के समस्त चल अचल सम्पत्ति प्रबंधकारिणी के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा बिना विक्रय द्वारा अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जायेगी।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान से संशोधन किये जाने से प्रस्ताव पर विचार कर साधारण सभा की विशेष बैठक में, उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कोई सदस्य 2/3 मत में संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

(15) अध्यक्ष के अधिकारः– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णात्मक होगी।

(16) उपाध्यक्ष के अधिकारः– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

(17) सचिव (मंत्री) के अधिकारः–

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(2) समिति का आय व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितताएं पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 10,000/– खर्च करने का अधिकार होगा।

(18) संयुक्त सचिव के अधिकारः– सचिव की अनुपस्थिति में प्रबंधकारिणी की बैठक बुलाना और आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना सचिव के समस्त अधिकारों का उपयोग करना।

सचिव
श्री ... शिक्षा एवं सर्व समाज कल्याण समिति
गोहद जिला–भिण्ड (म.प्र.)

15453
16-11-2011

(19) कोषाध्यक्ष के अधिकार:-- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

(20) बैंक खाते:– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन की आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 10,000/– होंगे।

(21) पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था का वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारुप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परिशित लेखा भेजेगी।

(22) संशोधन:– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के दो तिहायी मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधित करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थानों को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

(23) विघटन:– संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

(24) सम्पत्ति:– संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्तियां (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स तथा संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी विक्रय द्वारा दान द्वारा अन्य प्रकार से अर्जित या आन्तरित नहीं की जा सकेगी।

(25) बैंक खाता:– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। एवं समय समय पर धन निकालने व जमा करने की प्रतिक्रिया जारी रहेगी।

(26) पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना:– संस्था की पंजीकृत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाओं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में यह विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

Reena
सचिव

श्रीमती शकुन्तला गुप्ता

(27) विवादः— संस्था में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतुष्टी न हो तो वे रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्माण अंतिम व सर्वमान्य होगा संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंधक समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ संस्थायें • ग्वालियर — चंबल राजस्व संभाग, ग्वालियर

15453
इन्स्ट्रूमेशन नम्बर
निकाल (?) की दिनांक 16-11-20

सत्यप्रतिलिपि
23.11.2011
(एम.जे.कुरैशी)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाये
ग्वालियर— चम्बल राजस्व संभाग
ग्वालियर (म.प्र.)

Reeny
Reeny
श्री मती शकुन्तला गुप्ता

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

32AA 142174

[illegible]

[illegible]

असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज, ग्वालियर - चम्बल राजस्व संभाग, ग्वालियर

7/0

R.N. 15052 Dt. 16.11.

Reena

(एम.जे.कुरैशी)

असिस्टेंट रजिस्ट्रार

फर्म्स एवं संस्थायें

ग्वालियर- चम्बल राजस्व